न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 02/2013
बउनवान

नन्दकिशोर उम्र 60 वर्ष पुत्र औकार लाल जाति–कण्डारा, निवासी–बैंगना, तहसील–बारां, जिला–बारां **(प्रार्थी)**

बनाम

1– भैरूलाल पुत्र पाचू जाति–बैरवा हाल नि. आमापुरा तहसील–बारां जिला–बारां (राज0)
2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला–बारां **(अप्रार्थीगण)**

प्रार्थनापत्र धारा–14(4) भू आवंटन नियम, 1970
उपस्थितिः–1. श्री बाबूलाल जैन, अभिभाषक **(प्रार्थी)**
2.श्री ओमप्रकाश मेहता ा,अभिभाषक **(अप्रार्थी कम–1)**

निर्णय दिनांक– 27.05.2019

1– प्रार्थी ने जर्ये अभिभाषक प्रार्थनापत्र धारा, 14(4) भू आवंटन नियम–1970 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया है कि वाके ग्राम बैंगना तहसील–बारां में खसरा नम्बर 160 रकबा 0.51 है0 भूमि स्थित है, जिसे आगे विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है जिसके साबिक खसरा नम्बर 117 रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा था जिसमें से बटा नम्बर डालकर यह नया रकबा कायम किया गया है। यह भूमि केसरा पुत्र जगन्नाथ जाति–मीणा निवासी–बैंगना तहसील–बारां की थी जो केसरा द्वारा नन्दकिशोर पुत्र औकार कौम कण्डारा को जरिये रजिस्टर्ड बेनामा बेचान की गयी है। मीणा जाति अनुसूचित जनजाति की परिभाषा में आती है। चूकि यह भूमि मीणा जाति की थी जो कण्डारा को बेचान की गयी है, कण्डारा अनुसूचित जनजाति की परिभाषा में नहीं आती है। इस कारण इस भूमि के बाबत एक मुकदमा सहायक समाहर्ता एवं कार्यपालक दण्डनायक बारां की अदालत में प्रार्थना पत्र संख्या 276/76 सरकार बनाम केसरीलाल पुत्र जगन्नाथ मीणा नि. बैगना, नन्दकिशोर पुत्र औकार कण्डारा, बैगना चला, जिसमें न्यायालय ने अपने पत्र कमांक राजस्व/385 दिनांक 11.02.1977 धारा, 175 आरटीए के तहत भूमि सिवायचक दर्ज करवा दी।

2– यह भूमि सिवायचक दर्ज होने के बाद कन्हैयालाल पुत्र कजोड जाति–बैरवा निवासी बैगना के नाम आवंटन कर दी गयी । जबकि कन्हैयालाल ने इस भूमि को कभी भी काश्त नहीं किया। वर्तमान मे कन्हैयालाल फौत हो चुका है उसकी बेवा रूपाबाई के नाम यह भूमि राजस्व रेकार्ड मे आ गयी थी, जो भी फौत हो

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चुकी है। वर्तमान में इन्तकाल नं0 673 दिनांक 30.07.2012 से रूपाबाई के स्थान पर अप्रार्थी के नाम दर्ज हुआ है, जो वारिस है।

3— इस भूमि पर सदैव से प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है, भूमि कभी भी कन्हैयालाल अथवा अप्रार्थीगण ने काश्त नहीं की है। अप्रार्थी का नाम दर्ज होने से वे इस भूमि को काश्त करना चाहते है, जिनको इस भूमि पर कोई अधिकार नही है। कन्हैयालाल को किया गया आवंटन कानून के प्रावधानो के विरूद्व है तथा धारा 175 (4—ए) आरटीए का उल्लघन है। क्योकि जिस व्यक्ति की भूमि धारा, 175 आरटीए मे अधिग्रहण हुयी है, वह भूमि उसी जाति के व्यक्ति को आवंटन होनी चाहिये थी। किन्तु ऐसा न करके आवंटन नियमों की अवहेलना की गयी है। इस कारण कन्हैयालाल को किया गया आवंटन स्वतः हीं शून्य है तथा शून्य आवंटन के आधार पर अप्रार्थी को जो खातेदारी दी गयी है वह भी स्वतः हीं निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी हाल ख0नं0 160 रकबा 0.51 है0 जो अप्रार्थी के खाते दर्ज है, आवंटन निरस्त किया जाकर दर्ज सिवायचक दर्ज करायी जावे।

4— प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा जिला अभिलेखागार, बारां से मूल भू आवंटन रेकार्ड तलब किया गया। प्रकरण में रेकार्ड प्राप्त होने पर बहस विद्वान उभयपक्ष अभिभाषक सुनी गयी।

5— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजी ख0नं0 160 रकबा 0.51 है0 अप्रार्थी की रजिस्टर्ड खरीदशुदा भूमि है, जो प्रार्थी ने केसरा पुत्र जगन्नाथ जाति—मीणा नि. बैगना से जर्ये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र क्रय की गयी थी। किन्तु केसरा अनुसूचित जन जाति व प्रार्थी अनुसूचित जाति का सदस्य होने से, सहायक कलक्टर, बारां में प्रार्थी के विरूद्व धारा, 175 आरटीए की कार्यवाहीं की गयी जिसमें आदेश दिनांक 11.02.1977 को उक्त आराजी को सिवायचक दर्ज किया गया।

6— यह भूमि सिवायचक खाता सरकार दर्ज होने से भू आवंटन सलाहकार समिति, बारां द्वारा उक्त आराजी को अप्रार्थी के पिता कन्हैयालाल पुत्र कजोड बैरवा जाति—बैरवा को आवंटन कर दी। जबकि अप्रार्थी के पिता व अप्रार्थी का उक्त आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। वर्तमान में भी उक्त आराजी पर उनका कोई कब्जा नहीं है। आवंटी अप्रार्थी का स्वर्गवास होने पर उक्त आराजी बेवा रूपाबाई के खात दर्ज हुई। जिनका का देहान्त हो चुका है। वर्तमान में उक्त आराजी वारिस अप्रार्थी भैरूलाल के खाते दर्ज है। अप्रार्थी को आवंटन गलत हुआ है। क्योकि यह भूमि धारा, 175 आरटीए के तहत सिवायचक दर्ज हुई है। इस भूमि के मूल खातेदार अनुसूचित जनजाति (मीणा) के सदस्य है तथा अप्रार्थी आवंटी अनुसूचित जाति (कण्डारा) से है। विधि का प्रावधान है कि धारा, 175 आरटीए के तहत सिवायचक भूमि को उसी संवर्ग को आवंटित हो सकती है। सरकार द्वारा अप्रार्थी को गलत आवंटन किया है। धारा—42 आरटीए का स्पष्ट उल्लघंन है। इसलिये अप्रार्थी को किया गया आवंटन प्रारम्भतः हीं शून्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर, अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर, विवादित आराजी ख0नं0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

160 रकबा 0.51 वाके ग्राम बैगना तहसील–बारां को सिवायचक दर्ज किया जावे। अपने कथन के समर्थन में विधि दृष्टांत आरबीजे (16) 2009 पेज 437 व आरआरडी दिनांक 14.06.2013 दयाराम बनाम भॅवरलाल व अन्य स्पेशल अपील नं0 2444/जोधपुर निर्णय दिनांक 27.02.2013 की प्रति पेश की।

7– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने प्रार्थी अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी के पिता भूमिहीन होने से मजमे आम में ख0नं0 171 की 3 बीघा 2 बिस्वा व ख0नं0 117 की 3 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। अप्रार्थी तभी से उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थी का उक्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। प्रार्थी ने धारा, 14(4) के तहत आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थनापत्र पेश किया है, जो पूर्णतया निराधार तथ्यों पर आधारित है। विवादित आराजी वर्तमान में अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। इतने समय पश्चात् जब आवंटित आराजी खातेदारी में दर्ज हो चुकी है, आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थनापत्र मियाद बाहर पेश किया है। मियाद के संबंध में जो कारण बताये है, उचित नहीं है। अपने कथन के समर्थन में विधि दृष्टांत डीएनजे(राज.) 1995 पेज 592 की प्रति पेश की।

8– साथ हीं निवेदन किया कि दोनो पक्षकारान् के मध्य वर्तमान में विवादित आराजी बाबत हक घोषणा का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,बारां में जेरकार है जिसमें मातहत न्यायालय द्वारा धारा, 212 प्रार्थनापत्र में दावा डिक्री तक स्थगन दिया गया है। पक्षकारान् के हक हकूक का निर्धारण नियमित वाद में तय होगे। प्रार्थी का वाद के चलते धारा, 14(4) भू आवंटन नियम, 1970 के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है ना हीं संधारणीय योग्य है। अतः प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को खारिज फरमाया जावे।

9– हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी का मुख्य तर्क रहा है कि अप्रार्थी को आवंटित आराजी धारा, 175 आरटीए के तहत सिवायचक भूमि है जिसके मूल खातेदार अनुसूचित जनजाति (मीणा) है, अप्रार्थी आवंटी अनुसूचित जाति का सदस्य है। आवंटन में धारा–42(बी) आरटीए का उल्लघंन हुआ है। अतः आवंटन निरस्त किया जाकर, अप्रार्थी के खाते दर्ज भूमि ख0नं0 160 रकबा 0.51 वाके ग्राम बैगना को पुनः सिवायचक दर्ज किया जावे। इसी प्रकार अप्रार्थी अभिभाषक का तर्क है कि आवंटन विधिवत भूमिहीन होने पर हुआ है। उक्त आराजी उनके कब्जे काश्त व खातेदारी में दर्ज है। आवंटन को चुनौती मियाद बाहर पेश की है तथा वर्तमान में विवादित आराजी बाबत नियमित वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में जेरकार है जिसमें हीं पक्षकारान् के विधिक हक का निर्धारण होगा। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि वर्तमान में पक्षकारान् के मध्य विवादित आराजी बाबत हक घोषणा का नियमित वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में जेरकार है जिसमें अप्रार्थी के पक्ष में मातहत न्यायालय द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी है। ऐसी स्थिति में नियमित वाद के चलते आवंटन पर हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

10— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रार्थनापत्र को निर्णित किया जाकर, पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि जेरकार नियमित वाद में नयी तनकीयात कायम कर, "यह कि विवादित आराजी के मूल खातेदार अनुसूचित जनजाति के है तथा भूमि धारा, 175 आरटीए के तहत सिवायचक हुई है, तो अनूसूचित जनजाति की भूमि, अनुसूचित जाति के सदस्य को किस प्रकार दर्ज हुई" वाद का निस्तारण किया जावे। पक्षकारान् को पाबन्द किया जाता है कि वह उल्लेखित तनकी के निर्धारण हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंवे।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर, बारां

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official